न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री सिद्धार्थ पालानीचामी, आई.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
श्री नाथूसिंह पुत्र हिम्मत सिंह, जाति राव, निवासी कारोली व अन्य –3		श्री डुंगर सिंह पुत्र परबत सिंह जाति राव, निवासी कारोली व अन्य –57

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या 23/2021

दिनांक 07.08.2023

निर्णय

यह कि वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि वादी संख्या 1 हिम्मतसिंह का पुत्र है एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 तखतसिंह के पुत्रगण है। स्व. हिम्मतसिंह एवं तखतसिंह के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि गांव कारोली पटवार हल्का आमथला में स्थित है जिसमें में से खसरा संख्या 324, खातोनी संख्या 85, संवत 2023 से 2026 की जमाबंदी में उनके नाम खातेदारी दर्ज है। वादीगण के पूर्व रसाधिकारियों के नाम दर्ज खसरा संख्या 324 को भूमि गैर मुमकीन रास्ता रकबा 06 बिश्वा संवत 2023 से 2026 की जमांबदी में दर्ज है। नये भूप्रबन्ध में खसरा संख्या 324 की भूमि को नया नंबर 454 दिया गया है व रकबा 06 विश्वा के बजाय 05 विश्वा दर्शाया गया है। वादीगण पुराने खसरा संख्या 324 जो वर्तमान में खसरा संख्या 454 है पर अपने पूर्व रसाधिकारियों के जरिये कदीम से काबिज है जिसमें वादी संख्या 1 एक आधे हिस्से के व वादीगण संख्या 2 से 4 आधे हिस्से के खातेदार है एवं इसी माफिक कब्जा धारण किये हुये है। गत भूप्रबन्ध में उक्त खसरा संख्या 324 की भूमि जिसके परिवर्तित खसरा नंबर 454 है को गलती से प्रतिवादीगण की कृषि भूमि के खाते में सम्मिलित किया गया है। वादीगण द्वारा खसरा संख्या 324 वर्तमान खसरा संख्या 454 रकबा 05 विश्वा भूमि की खातेदारी वादी संख्या 1 के नाम आधे हिस्से की व वादीगण संख्या 2 से 4 के नाम आधे हिस्से की घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया है।

हमने प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये। प्रतिवादीगण को जारी सम्मन तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया।

प्रतिवादी 31 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि वादी सं. 1 हिम्मतसिंह जी के पुत्र होना सही है , एवं प्रतिवादीगण सं. 2, 3 व 4 के पिता तखतसिंह असत्य होने से अस्वीकार है। विवादित खसरा संख्य 324 परिवर्तित खसरा संख्या 454 जो किस्म गै.मु. रास्ता है पर संवत 2023 से 2026 की राजस्व जमाबंदी में यदि स्व. हिम्मतसिंह व स्व. तखतसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज भी हो तो उक्त प्रविष्टी मात्र से स्व. हिम्मतसिंहजी व स्व. तखतसिंह को स्वामित्व हक उत्पन्न नही हो जाता है, न ही उक्त विवादित खसरा संख्या 324 जिसका परिवर्तित खसरा संख्या 454 किस्म गै.मु. रास्ता पर स्व. हिम्मतसिंह व स्व. तखतसिंह का कभी कब्जा नही रहा है। विवादित खसरा संख्या 324 परिवर्तित खसरा संख्या 454 जो किस्म गै.मु. रास्ता है पर न तो वर्तमान में वादीगण काबिज है न ही पूर्व में वादीगण के पूवर्ज काबिज रहे है।

दिनांक 06.04.2022 को सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये थे। तहसीलदार देलदर द्वारा जरिये पत्रांक/विधि/2023/195, दिनांक 20.02.2023 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई। तथ्यात्मक रिपोर्ट के [illegible] पर उपस्थित वादीगण श्री नाथुसिह द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो की जांच एवं मौका स्थिति [illegible] कारोली के वर्तमान खसरा संख्या 454 रकबा 0.0632 है. भूमि प्रतिवादीगण एवं उनके परि[illegible] के नाम दर्ज रेकर्ड है। गत बंदोबस्त की संवत् 2023 से 2026 की [illegible] वर्तमान खसरा 454 का पुराना खसरा संख्या 324 था [illegible] के नाम दर्ज था परन्तु [illegible] बंदोबस्त में नवीन खसरा संख्या 454 रकबा 0.0632 है. किस्म गै.मु. प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रेकर्ड हो गया है। गत बंदोबस्त में दर्ज खसरा संख्या 324 का रकबा 0.07 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Date: 2024.01.09 17:26:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

हमने एक पक्षीय बहस सुनी व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया । पत्रावली में वादीगण द्वारा सेंटलमेंट से पूर्व की सवंत् 2023–2026 की जमांबदी पेश की गई जिसमें वादीगण के परिवारजनों के नाम तथा सेंटलमेंट के बाद की दो जमांबदीयां पेश की गई जिसमें प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। Saida bibi vs Babba, 1940 RD 397, Ganesh Govinda rai vs Bhola Govind Rai, 1942 RD 369 के अनुसार स्पष्ट है कि सेंटलमेंट प्रविष्टियों को तब तक सही माना जाना चाहिए जब तक कि मामला साबित न हो जाए और सबूत का भार केवल उस पक्ष पर पड़ता है जो उन्हें गलत होने का आरोप लगाता है तथा हीना बनाम स्टेट, 2012 RRD 240 (HC) के अनुसार जहां इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हों कि भूमि कृषि स्वामित्व में है, लेकिन बंदोबस्ती में त्रुटि के कारण नाम दर्ज नहीं हुआ, खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं लेकिन उक्त प्रकरण में सेंटलमेंट प्रविष्टि सही साबित हो रही है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं तहसीलदार देलदर की रिपोर्ट के अनुसार भी वादीगण का कब्जा स्पष्ट नही हो रहा है केवल भूमि पर जाने के लिये उक्त भूमि रास्ते के उपयोग में ली गई है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण का यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी की जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ पालानीचामी) I.A.S.
सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Date: 2024.01.09 17:26:30 IST
Reason: SelfAttested